न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 839 सन 2021

अनवान :–

1. जीवण खां पुत्र फजलदीन जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. नेक मोहम्मद पुत्र नूरदीन जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. आमीन खां उर्फ यासीन खा पुत्र नूरदीन जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. गुलाम मोहम्मद पुत्र नूरदीन जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. सरीफा पुत्री नरूदीन जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. याकुब पुत्र गुलजारा पुत्री नूरदीन जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर।
6. सुमन पुत्री गुलजारा पुत्री नूरदीन जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 16/02/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 134/126 की कुल 2.5160हैक एव रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 38/36 की कुल 5.8190हैक एव रोही मौजा चक 17 एनटीआर के खाता संख्या 27/26 की कुल 1.3290हैक एव रोही मौजा चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 129/134 की कुल. 9.3610हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम मुश्तरका खातें में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज फजलदीन के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वरिसान से वादी एव उसके भाई नुरदीन के नाम दर्ज हुई नूरदीन का देहान्त होने पर उनके वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एव नूरदीन की पुत्री गुलजारा के देहान्त होने पर उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 ,6 के नाम से दर्ज हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने परिवारिक शान्ति एवं काश्त की सूविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी प्रतिवादीगण के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पूर्वज फजलदीन के देहान्त

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने परिवारिक शान्ति एवं भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते है बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज की जाती है तो किसीप्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 134/126 की कुल 2.5160हैक एव रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 38/36 की कुल 5.8190हैक एव रोही मौजा चक 17 एनटीआर के खाता संख्या 27/26 की कुल 1.3290हैक एव रोही मौजा चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 129/134 की कुल 9.3610हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम मुश्तरका खातें में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज फजलदीन के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वरिसान से वादी एव उसके भाई नुरदीन के नाम दर्ज हुई नूरदीन का देहान्त होने पर उनके वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एव नूरदीन की पुत्री गुलजारा के देहान्त होने पर उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 ,6 के नाम से दर्ज हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने परिवारिक शान्ति एवं काश्त की सूविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी प्रतिवादीगण के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 134/126 की कुल 2.5160हैक एव रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 38/36 की कुल 5.8190हैक एव रोही मौजा चक 17 एनटीआर के खाता संख्या 27/26 की कुल 1.3290हैक एव रोही मौजा चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 129/134 की कुल 9.3610हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम मुश्तरका खातें में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी के पूर्वज के नाम से दर्ज थी वादी के पूर्वज फजलदीन के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके वारिसान वादी एव प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

संख्या 1 ता 6 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने पारिवारिक शान्ति एवं भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार काश्त करते आ रहे है बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है ।

अत: वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 134/126 की कुल 2.5160हैक मे वादी के नाम दर्ज 0.419हैक भूमि के साथ प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज हक हिस्सा की भूमि 0.419हैक अर्थात 0.838हक भूमि का खातेदार रहेगा एवं रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 38/36 की 5.8190हैक भूमि में वादी के नाम दर्ज 1.45475हक भूमि के साथ प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की 1.45475हैक भूमि अर्थात 2.9095हैक भूमि का खातेदार काश्तकार रहेगा एवं रोही मोजा चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 129/124 की कुल 9.3610हैक भूमि में वादी के नाम दर्ज 1.560हैक भूमि के साथ प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम हक व हिस्सा की 1.560हैक अर्थात 3.120हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/5– 1/5 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 5 , 6 बहिव 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार रहेगे एव रोही मौजा चक 17 एनटीआर के खाता संख्या 27/28 की कुल 1.3290हैक भूमि में वादी के नाम 0.2215हैक भूमि के साथ प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज 0.2215हैक भूमि के साथ 0.443हैक भूमि के सयुक्त बहिव खातेदार काश्तकार रहेगे शेष खातेदारो का हिस्सा यथावत रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16/2/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. जीवण खां पुत्र फजलदीन जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. नेक मोहम्मद पुत्र नूरदीन जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. आमीन खां उर्फ यासीन खा पुत्र नूरदीन जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. गुलाम मोहम्मद पुत्र नूरदीन जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. सरीफा पुत्री नुरदीन जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. याकुब पुत्र गुलजारा पुत्री नूरदीन जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर।
6. सुमन पुत्री गुलजारा पुत्री नूरदीन जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 839 सन 2021 निर्णय दिनांक– 16/02/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 134/126 की कुल 2.5160हैक में वादी के नाम दर्ज 0.419हैक भूमि के साथ प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज हक हिस्सा की भूमि 0.419हैक अर्थात 0.838हक भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार रहेगा एवं रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 38/36 की 5.8190हैक भूमि में वादी के नाम दर्ज 1.45475हक भूमि के साथ प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की 1.45475हैक भूमि अर्थात 2.9095हैक भूमि का वादी खातेदार काश्तकार रहेगा एवं रोही मोजा चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 129/124 की कुल 9.3610हैक भूमि में वादी के नाम दर्ज 1.560हैक भूमि के साथ प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम हक व हिस्सा की 1.560हैक अर्थात 3.120हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/5– 1/5 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 5 , 6 बहिब 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार रहेगे एव रोही मौजा चक 17 एनटीआर के खाता संख्या 27/28 की कुल 1.3290हैक भूमि में वादी के नाम 0.2215हैक भूमि के साथ प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज 0.2215हैक भूमि के साथ 0.443हैक भूमि के सयुक्त बहिब खातेदार काश्तकार रहेगे शेष खातेदारो का हिस्सा यथावत रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner